Employee No.:-6488

APPLICATION FOR CL / STATION LEAVE

1.	**District**	: Balrampur
2.	**Leave id**	: L02315472023
3.	**Name of the Applicant**	: VIMAL PRAKASH ARYA
4.	**Designation**	: A.D.J. (FTC)
5.	**From which date and up-to which date the leave is required and its nature**	: Monday 14-08-2023 : Compensatory Leave
6.	**Purpose of the Leave applied for**	:

Sir, with due respect I have to say that I was out of station with permission on dated 13.08.2023. Due to being unhealthy, I could not attend office on dated 14.08.2023. I tried to upload my leave on e-portal but due to not working of server, It could not be neither uploaded on dated 14th of August, 15th of August and nor on 16th of Aughst. Therfore, I send an application on dated 16.08.3023. I worked in National Lok Adalat on 21.05.2023 and Special Lok Adalat of (MACT) on 08.07.2023.
Therefore you are kindly requested to grant me compensatory leave on dated 14.08.2023 in lieu of National Lok Adalat (21.05.2023) and Special Lok Adalat (08.07.2023).
With regards.

7.	**Address during the period of leave along with mobile number.**	: Old katchahery Balrampur. : 8005291350
8.	**No. of Leaves Previously Availed**	:
	Leave Final Status	**APPROVED**

Date 17-08-2023

VIMAL PRAKASH ARYA
Signature of the Applicant

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में

श्रीमान् अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

विषय— दिनांक 14—08—2023 का प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि मैं दिनांक 13—08—2023 को मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ बरेली गया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं दिनांक 14—08—2023 को न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका। मेरे द्वारा ई—पोर्टल पर अवकाश अपलोड करने का प्रयास किया गया किन्तु मोबाइल की मैमोरी फुल होने के कारण व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट (सर्वर) के कार्य न करने के कारण अवकाश का प्रार्थनापत्र अपलोड नहीं हो सका और आज भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। दिनांक 21—05—2023 (राष्ट्रीय लोक अदालत) व दिनांक 08—07—2023 (विशेष लोक अदालत एम0 ए0 सी0 टी0) के एवज में दिनांक 14—08—2023 का प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

16.08.2023

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

दिनांक— 16—08—2023

श्रीमान जी,
श्री विमल प्रकाश आर्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर दि० 21/5/23 राष्ट्रीय लोक अदालत व दि० 8/7/23 विशेष लोक अदालत (MACT) के उपस्थित आये थे।

Sandeep Gupta
16/08/23

Back

APPLICATION FOR CL / STATION LEAVE

1. District

Balrampur

2. Leave id

L02315472023

3. Name of the Applicant

VIMAL PRAKASH ARYA

4. Designation

A.D.J. (FTC)

5. From Which date and up-to which date the leave is required and its nature.

☐ Monday 14-08-2023

Compensatory Leave

6. Purpose of the Leave applied for

Sir, with due respect I have to say that I was out of station with permission on dated 13.08.2023. Due to being unhealthy, I could not attend office on dated 14.08.2023. I tried to upload my leave on e-portal but due to not working of server, It could not be neither uploaded on dated 14th of August, 15th of August and nor on 16th of Aughst. Therfore, I send an application on dated 16.08.3023. I worked in National Lok Adalat on 21.05.2023 and Special Lok Adalat of (MACT) on 08.07.2023.

Therefore you are kindly requested to grant me compensatory leave on dated 14.08.2023 in lieu of National Lok Adalat (21.05.2023) and Special Lok Adalat (08.07.2023).

With regards.

7. Address during the period of Leave

Old katchahery Balrampur.

7. (a) Mobile Number

8005291350

8. No. of Leaves Previously Availed

Date: 17-08-2023

Remarks / Earlier Objections

District Judge Office(DISTRICT JUDGE)

21-08-2023

Comp. Leave not due for Spl. Lok Adalat MACT held on 08-07-2023.

VIMAL PRAKASH ARYA(JUDICIAL OFFICER)

22-08-2023

Sir, it is kindy submitted that dated 08.07.2023 was second Saturday and on this date Special Lok Adalat (MACT) was organized.

Therefore you are kindly requested to grant me compensatory leave for dated 14.08.2023.

With regards.

District Judge Office(DISTRICT JUDGE)

28-08-2023

This is inform you that the Comp. leave is not admissible for Spl. Lok Adalat. Please Withdraw the leave application and apply other type of leave.

VIMAL PRAKASH ARYA(JUDICIAL OFFICER)

02-09-2023

Sir, you are kindly requested and informed that as per C.L.No. 21/2010/Admin.'G-II' Dated:Allahabad, 24 07.2010, Sub: Grant of Compensatory leave to Judicial Officers and the staff, this Compensatory leave is available. Therefore you are kindly requested to grant me the compensation leave.

With regards.

Note for approval / remarks

श्रीमान जी,
दिनांक 08.07.2023 को MACT से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की स्थापना के उपरान्त समस्त वाद अधिकरण को अन्तरित हो गये हैं, जिला न्यायालय में MACT से सम्बन्धित वाद लम्बित नहीं हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत MACT विशेष लोक अदालत में निस्तारित वादों का मात्र सूचना प्रेषित किया जाना था।
अतः दिनांक 08.07.2023 को MACT हेतु विशेष लोक अदालत के एवज में प्रतिकर अवकाश देय नहीं है।
आख्या सादर प्रस्तुत है।
[signature] 08.09.2023

'A'

In view of Report 'A', Rejection & inform officer.
[signature] 08/9/2...

Applied Leave Type

Compensatory Leave

Leave Due

☐

Decision *

----- Select Decision -----

Remarks of the Forwarding Officer*

Font Sizes B U I

प्रेषक
विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में
श्रीमान् अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

विषय– मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16–08–2023 को प्रेषित पत्र व दिनांक 17–08–2023 को वास्ते दिनांक 14–08–2023 के प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने की सूचना अपलोड किये जाने पर प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय शंकर लाल द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लोक अदालत व विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसका अनुपालन कर, अनुपालन आख्या मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित की जाती है।

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या–1694/एसएलएसए–127/2023 (विशेष लोक अदालत) दिनांकित 25–05–2023 के अनुपालन में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर को पत्रांक संख्या–225 दिनांकित 26–05–2023 प्रेषित कर सूचित किया गया । श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर द्वारा दिनांक 08–07–2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत में निस्तारित वादों की सूचना मुझ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित किये जाने पर, मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसका अनुपालन कराया गया और पत्रांक संख्या–207 के द्वारा श्रीमान् पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 08–07–2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया ।

चूँकि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08–07–2023 को उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांकित 24–05–2023 का अनुपालन किया गया तथा सी0एल0 नम्बर–21/210/एडमिन (जी–।।) दिनांकित इलाहाबाद 24–07–2010 के अनुपालन में दिनांक 21–05–2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 08–07–2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत (एम0ए0सी0टी0) में कार्य किये जाने के एवज में दिनांक 14–08–2023 को प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है। श्री विजय शंकर लाल प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भूलवश उक्त आख्या प्रेषित की गयी हैं, जिसके आधार पर श्रीमान् जी द्वारा मेरा प्रतिकर अवकाश का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है।

अतः श्रीमान् जी से पुनः निवेदन है कि दिनांक 21–05–2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 08–07–2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत बावत एम0ए0सी0टी0 का प्रतिकर अवकाश (सी0एल0 नम्बर–21/210/एडमिन (जी–।।) दिनांकित इलाहाबाद 24–07–2010 के अनुपालन में ~~दिनांक 21–05–2023~~ (दिनांक 14–08–2023) को स्वीकृत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

13.09.2023

दिनांक–13–09–2023

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

Rpcd.
13-9-23

संलग्नक

1. उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्रांक संख्या–1694/एसएलएसए'127/2022 (विशेष लोक अदालत) दिनांकित 24–05–2023
2. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर को प्रेषित पत्रांक संख्या–225 दिनांकित 26–05–2023 की छाया प्रति

3. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08–07–2023 को जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को प्रेषित प्रेस विज्ञप्ति की छाया प्रति

4. श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर द्वारा दिनांक 08–07–2023 को विशेष लोक अदालत एमएसीटी में निस्तारित मामलों का विवरण जिसकी सूचना पंत्राक संख्या–2071 पर प्रेषित की गयी की छाया प्रति।

5. मुझ अधोहस्ताक्षरी का प्रार्थनापत्र पर प्रशासनिक अधिकारी की आख्या व श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति।

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में

श्रीमान् अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

विषय— मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16—08—2023 को प्रेषित पत्र व दिनांक 17—08—2023 को वास्ते दिनांक 14—08—2023 के प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने की सूचना अपलोड किये जाने पर प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय शंकर लाल द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लोक अदालत व विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसका अनुपालन कर, अनुपालन आख्या मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित की जाती है।

उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या—1694/एसएलएसए—127/2023 (विशेष लोक अदालत) दिनांकित 25—05—2023 के अनुपालन में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर को पत्रांक संख्या—225 दिनांकित 26—05—2023 प्रेषित कर सूचित किया गया । श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर द्वारा दिनांक 08—07—2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत में निस्तारित वादों की सूचना मुझ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित किये जाने पर, मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसका अनुपालन कराया गया और पत्रांक संख्या—207 के द्वारा श्रीमान् पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 08—07—2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया ।

चूँकि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08—07—2023 को उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांकित 24—05—2023 का अनुपालन किया गया तथा सी0एल0 नम्बर—21/210/एडमिन (जी—।।) दिनांकित इलाहाबाद 24—07—2010 के अनुपालन में दिनांक 21—05—2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 08—07—2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत (एम0ए0सी0टी0) में कार्य किये जाने के एवज में दिनांक 14—08—2023 को प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है। श्री विजय शंकर लाल प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भूलवश उक्त आख्या प्रेषित की गयी हैं, जिसके आधार पर श्रीमान् जी द्वारा मेरा प्रतिकर अवकाश का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है।

अतः श्रीमान् जी से पुनः निवेदन है कि दिनांक 21—05—2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनांक 08—07—2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत बावत एम0ए0सी0टी0 का प्रतिकर अवकाश (सी0एल0 नम्बर—21/210/एडमिन (जी—।।) दिनांकित इलाहाबाद 24—07—2010 के अनुपालन में ~~दिनांक 21—05—2023~~ (दिनांक 14—08—2023) को स्वीकृत करने की कृपा करें।

सादर। Order. Permitted

DJ 15-9-23

भवदीय

13.09.2023

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

दिनांक—13—09—2023

संलग्नक

1. उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्रांक संख्या—1694/एसएलएसए 127/2022 (विशेष लोक अदालत) दिनांकित 24—05—2023
2. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान् पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 बलरामपुर को प्रेषित पत्रांक संख्या—225 दिनांकित 26—05—2023 की छाया प्रति

15-9-23 AO

सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० (01)
बलरामपुर।

विषय :सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदनपत्र।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि मुझ प्रार्थी द्वारा दिनाँक 21.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत व दिनाँक 08.07.2023 को विशेष लोक अदालत (MACT) में कार्य किया गया, जिसके बावत दिनाँक 14.08.2023 को प्रतिकर अवकाश प्रदान किये जाने के बावत (सर्वर के कार्य न करने के कारण) दिनाँक 16.08.2023 को एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, और सर्वर के कार्य करने पर दिनाँक 17.08.2023 को पोर्टल पर अपलोड किया गया।

जिस पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा **सर्वप्रथम दिनाँक 21.08.2023 को** यह Remark/ Objection अंकित किया गया "Comp. Leave not due for Spl. Lok Adalat MACT held on 08.07.2023"

उक्त Remark/ Objection के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनाँक 22.08.2023 को पुनः निवेदन करते हुए अवगत कराया गया कि "Sir, it is kindly submitted that dated 08.07.2023 was second saturday and on this date Special Lok Adalat (MACT) was organized. Therefore you are kindly requested to grant me compensatory leave for dated 14.08.2023"

मेरे उक्त निवेदन व आख्या के पश्चात **दिनाँक 28.08.2023 को द्वितीय बार** पुनः श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-

"This is inform you that Comp. Leave is not admissible for Spl. Lok Adalat. Please Withdraw the leave application and apply other type of leave."

उक्त आपत्ति के प्रकाश में मेरे द्वारा दिनाँक 02.09.2023 को पुनः निवेदन कर निम्नलिखित रूप में अवगत कराया गयाः-

"Sir, you are kindly requested and informed that as per C.L. No. 21/2010/admin.' G-II' Dated: Allahabad, 24.07.2010, Sub: Grant of Compensatory leave to Judicial Officers and the staff, this Compensatory leave is available. Therefore you are kindly requested to grant me compensation leave."

प्रार्थी द्वारा C.L. No. 21/2010/admin.' G-II' Dated: Allahabad, 24.07.2010 का स्पष्ट उल्लेख करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 08.09.2023 को गलत, भ्रामक, त्रुटिपूर्ण व उक्त सर्कुलर लेटर का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित रूप में आख्या

प्रस्तुत की गयीः-

"श्रीमान जी, दिनाँक 08. 07. 2023 को MACT से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ था मोटर दुर्धटना दावा अधिकरण की स्थापना के उपरान्त समस्त वाद अधिकरण को अन्तरित हो गये हैं, जिला न्यायालय में MACT से सम्बन्धित वाद लम्बित नहीं हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उक्त MACT विशेष लोक अदालत में निस्तारित वादों का मात्र सूचना प्रेषित किया जाना था। अतः दिनाँक 08. 07. 2023 को MACT हेतु विशेष लोक अदालत के एवज में प्रतिकर अवकाश देय नहीं है। आख्या सादर प्रस्तुत है।"

प्रशासनिक अधिकारी की उक्त आख्या के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा **तृतीय बार दिनाँक 08. 09. 2023 को** यह आदेश पारित किया गयाः-

"In View of report 'A' Rejected. Inform Officer"

श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय बलरामपुर की उक्त गलत, भ्रामक, त्रुटिपूर्ण व C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' Dated: Allahabad, 24. 07. 2010 के प्रतिकूल प्रस्तुत आख्या के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनाँक 08. 09. 2023 को मेरा आवेदनपत्र निरस्त कर दिया गया।

श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनाँकित 08. 09. 2023 व श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनाँक 08. 09. 2023 से व्यथित व हताश होकर, मेरे द्वारा दिनाँक 13. 09. 2023 को पुनः एक पत्र श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को प्रेषित किया गया, जिसमें उपरोक्त सरकुलर लेटर के प्रकाश में दिनाँक 14. 08. 2023 का प्रतिकर अवकाश प्रदान किये जाने का पुनः निवेदन किया गया।

मेरे पत्र दिनाँकित 13. 09. 2023 के प्रकाश में श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 15. 09. 2023 को एक आख्या प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत हैः-

"श्रीमान जी, सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 21. 05. 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कार्य किया गया है, दिनाँक 08. 07. 2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत MACT में कार्य किया गया है। जो प्रतिकर अवकाश C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' दिनाँक 24. 07. 2010 के अनुपालन में दिनाँक 14. 08. 2023 का प्रतिकर अवकाश देय है। आख्या सादर प्रस्तुत है।

श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी की उक्त आख्या के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा **चतुर्थ बार दिनाँक 15. 09. 2023 को** निम्नवत आदेश पारित किया गयाः-

"Permitted"

मेरे प्रतिकर अवकाश के प्रार्थनापत्र दिनाँकित 16. 08. 2023 व दिनाँक 17. 08. 2023 को ईपोर्टल पर अपलोड प्रार्थनापत्र पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा **सर्वप्रथम (01)** दिनाँक 21. 08. 2023 को, **द्वितीय बार (02)** दिनाँक 28. 08. 2023 को **एवं तृतीय बार (03)** दिनाँक 08. 09. 2023 को मेरा अवकाश का प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया **और चतुर्थ बार (04)** दिनाँक 15. 09. 2023 को उसे स्वीकृत किया गया। **इससे प्रथम दृष्टया यह ज्ञात होता है** कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दो बार मेरे प्रार्थनापत्र पर Remark/ Objection लगाया गया और दिनाँक

02. 09. 2023 को मेरे द्वारा C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' Dated: Allahabad, 24. 07. 2010 का स्पष्ट उल्लेख करने के बावजूद श्री विजय शंकर लाल , प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 08. 09. 2023 को गलत, भ्रामक, मनगढन्त व C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' Dated: Allahabad, 24. 07. 2010 का घोर उल्लंघन करते हुए आख्या प्रस्तुत की जिसके आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा तृतीय बार भी मेरा आवेदनपत्र C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' Dated: Allahabad, 24. 07. 2010 में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद निरस्त कर दिया गया, और चतुर्थ बार C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' Dated: Allahabad, 24. 07. 2010 के प्रकाश में श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 15. 09. 2023 को आख्या प्रस्तुत की गयी जिसके आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है:-

प्रश्न: क्या श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 08. 09. 2023 को C. L. No. 21/ 2010/ admin. ' G-II' Dated: Allahabad, 24. 07. 2010 के प्रकाश में आख्या प्रस्तुत की गयी है ? यदि नहीं तो जिस प्रावधान के तहत आख्या प्रस्तुत की गयी, उस प्रावधान (नियम) का स्पष्ट उल्लेख बतायें।	

उपरोक्त सूचना का वैधानिक शुल्क मु० पचास (50. 00) रूपये का पोस्टल आर्डर सं० 88G 298563 मूल रूप से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इसके अलावा, यदि अन्य कोई वैधानिक शुल्क या औपचारिकता पूर्ण करानी हो तो उसे भी पूर्ण करा लिया जाये।

यदि माँगी गयी सूचना आपके विभाग/ कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 06 (03) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पाँच दिनों की समयावधि के अन्तर्गत हस्तातंरित करने की कृपा करें।

साथ ही यह भी निवेदन है कि यदि श्रीमान जी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के विरूद्व अपील करने के बावत अपील की अवधि, अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम आदि का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अस्पष्ट या गलत सूचना के बावत प्रार्थी अपील कर सके।

प्रार्थी

04.10.2023

दिनाँक: 04. 10. 2023

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

कार्यालय केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, जनपद न्यायालय, बलरामपुर

श्री विमल प्रकाश आर्य,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर

विषय– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा – 6(1) के तहत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित आवेदन–पत्र दिनांकित 04.10.2023 जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के सापेक्ष में केन्द्रीय सहायक सूचना अधिकारी, बलरामपुर की आख्या आहूत की गयी। जिसके सापेक्ष में उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय, बलरामपुर की आख्या आहूत की गयी।

प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा दी गयी आख्या निम्नवत् है–

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा – 6(1) के तहत मांगी गयी वांछित सूचना	**आख्या**
क्या श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 08.09.2023 को C.L. No. 21/2010/admin.'G-II'Dated: Allahabad, 24.07.2010 के प्रकाश में आख्या प्रस्तुत की गयी है ? यदि नहीं तो जिस प्रावधान के तहत आख्या प्रस्तुत की गयी, उस प्रावधान (नियम) का स्पष्ट उल्लेख बतायें।	इलाहाबाद हाई कोर्ट (सूचना अधिकार अधिनियम–2006) के नियम 25 में यह उल्लेख है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कोई ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है, जो कि सामान्य नियम (सिविल/दाण्डिक) के अधीन प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य नियम सिविल 1957 के नियम 263 में शासकीय पत्र व्यवहार या रिपोर्ट की प्रतिलिपि दिये जाने से वर्जित किया गया है। अतः कार्यालय आख्या/टिप्पणी की सूचना नियमानुसार नहीं दी जा सकती है।

*इलाहाबाद हाईकोर्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम–2006) के नियम 25 के अनुसार – "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी कोई ऐसी सूचना प्रदान करने के दायित्वाधीन नहीं है, जो कि सामान्य नियम (सिविल/दाण्डिक) अधीन प्राप्त दिया जा सकता है।"

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपको संबंधित सभी आदेशों की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा प्राप्त करायी जा चुकी है।

अत: उक्त सूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट (सूचना का अधिकार अधिनियम-2006) के नियम 8, नियम 20 व नियम 25 से बाधित होने के कारण प्रदान नहीं की जा सकती।

31/X/2023

दिनांक – 31.10.2023

(इफ्तेखार अहमद)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
जनपद – बलरामपुर

संलग्नक –

1. मूल पोस्टल आर्डर संख्या – 88G 298563
2. मूल प्रार्थना पत्र (02 किता)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर

संख्या- 286 दिनांक- 27.02.2024

सूचना

सेवा में,

श्री विमल प्रकाश आर्य,

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

महोदय,

आप द्वारा दिनांक 10.01.2024 को प्रथम अपील अधिकारी/ जनपद न्यायाधीश बलरामपुर के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील योजित की गई थी जो इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2024 को प्राप्त हुई तथा अपील संख्या 02/2024 पर दर्ज हुई। उक्त अपील माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा दिनांक 20.02.2024 को निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि -

File presented before me. Perused the report presented by CPIO, Administrative Officer & IInd Clerk. Copy of joint report of Administrative Officer & IInd Clerk be provided to the appellant.

ORDER

Hence the first appeal is disposed off. Inform applicant accordingly. Consign the file.

तदनुसार उक्त रिपोर्ट की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक-27.02.2024

27-02-2024

प्रशासनिक अधिकारी,

जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

Received on 28.02.2024

18:00

सेवा में,

माननीय अपील अधिकारी/

जनपद न्यायाधीश,

बलरामपुर।

विषय-: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री विमल प्रकाश आर्या, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है-

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।	**आख्या**
क्या श्री विजय शंकर लाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 08.09.2023 को C.L. No. 21/ 2010/ admin. 'G-II' Dated: Allahabad, 24.07.2010 के प्रकाश में प्रस्तुत की गयी है? यदि नहीं तो जिस प्रावधान के तहत आख्या प्रस्तुत की गयी, उस प्रावधान (नियम) का स्पष्ट उल्लेख बतायें।	नहीं। मेरे द्वारा दिनांक 08.09.2023 को प्रस्तुत आख्या में भूलवश किसी भी नियम/प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया था, परन्तु श्री विमल प्रकाश आर्या जी द्वारा दिनांक 21.05.2023 तथा दिनांक 08.07.2023 के एवज में दिनांक 14.08.2023 का प्रतिकर अवकाश प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 13.09.2023 को प्रार्थनापत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को संबोधित करते हुए प्रेषित किया था, जिस पर मेरे द्वारा C.L. No. 21/ 2010/ admin. 'G-II' Dated: Allahabad, 24.07.2010 के प्रकाश में दिनांक 15.09.2023 को आख्या प्रस्तुत की गयी थी, जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारी को दिनांक 14.08.2023 का प्रतिकर अवकाश प्रदान किया गया था।

आख्या सादर प्रेषित है।

20-2-2024

प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय,
बलरामपुर।

प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय,
बलरामपुर।